

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 1977/फाल्गुन 6, 1898

No. 58] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 1977/PHALGUNA 6, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 25th February 1977

G.S.R. 86(E).—In exercise of the powers conferred under rule 139 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India Department of Revenue and Banking No 293/76-Central Excises, dated the 21st December, 1976, namely:—

In the said notification, after the proviso to the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely —

“Provided further that the removal of tobacco from one warehouse to another warehouse for the purpose of affixing “Agmark”, special processing or treatment for which the first warehouse does not have the facilities, and the return of the same, if any, to the first warehouse, shall be excluded while computing the number of movements for the purpose of this notification”

[No 26/77]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1977

सं० का० नि० 86 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 139 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 293/ 76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1976, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

परन्तु यह और कि "ग मार्क" लगाने, जहाँ प्रथम भाण्डागार में सुविधाएं नहीं वहां विशेष संशोधन करने अथवा प्रसंस्करण करने के; प्रयोजन के लिए तम्बाकू का एक भाण्डागार से दूसरे भाण्डागार में अपसारण, तथा उसका प्रथम भाण्डागार में वापस किया जाना, यदि ऐसा किया जाए तो इस अधिसूचना के प्रयोजना के लिए अपसारणों की संख्या परिलक्षित करते समय अपवर्जित कर दिया जाएगा ।"

[सं० 26/77]

G.S.R. 87(E).—In pursuance of rule 34 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Central Board of Excise and Customs No. 294/76-Central Excises, dated the 21st December, 1976, the Central Board of Excise and Customs hereby directs that in the case of unmanufactured tobacco, the validity of a transport certificate or sale note shall, if the transport is by means of a mechanised vehicle for the whole or a part of the distance, be for six hours from the time of issue, but not beyond the midnight of the date of issue; and in other cases till sunset of the date following the date of issue.

[No 27/77]

सं० का० नि० 87 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 34 के अनुसरण में और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं० 294/ 76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 21 दिसम्बर, 1976 को अधिष्ठापित करते हुये, निदेश देता है कि अधिनिमित्त तम्बाकू की दशा में, यदि परिवहन यंत्र चालित यान से पूरी दूरी तक अथवा उसके भाग तक बिना जाता है तो परिवहन प्रमाणपत्र या विक्रय नोट की विधिमान्यता उसे जारी किये जाने के समय से छ पट तक के लिए होगी, किन्तु जारी किए जाने की तारीख की अर्ध रात्रि के परे तक नहीं होगी; और अन्य मामलों में उनकी विधिमान्यता जारी किये जाने की तारीख की ठीक आगामी तारीख से सूर्यास्त तक होगी ।

[सं० 27/77]

G.S.R. 88(E)—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

- 1 These rules may be called the Central Excise (Third Amendment) Rules 1977
- 2 In the Central Excise Rules, 1944, in Appendix I, Specimen Forms, in Form TP3 (Central Excise Series No 65), after the entry "Date", the following entry shall be inserted, namely:—
"Time of issue"

[No 28/77]

N. C JAIN, Under Secy.

सा० का० नि० 88(घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (.....संशोधन) नियम, 1977 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, उपाबन्ध में, प्रारूप टी० पी० 3 (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क श्रृंखला सं० 65) में, प्रविष्टि "तारीख" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"जारी करने का समय"

[सं० 28/77]

एन० सी० जैन, अव्वर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

